न्यायालय म.प्र. राजस्व मंडल केन्द्र ग्वालियर केम्प उज्जैन (म.प्र.)

प्रकरण क्र. /~~2018~~ अपील – 4770/2018/उज्जैन /अन्य

1. जशोदाबाई विधवा हिरालाल
2. देवनारायण पिता हीरालाल
3. गजानंद पिता हीरालाल
4. दिनेश पिता हीरालाल

समस्त निवासीगण मालीपुरा उज्जैन

.....अपीलार्थीगण

विरूद्ध

म.प्र. शासन ......प्रत्यर्थी

श्री एम. एस. कुरैशी
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 19/7/18
19.7.18
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

अपील अंर्तत धारा 12 नगर भूमि अधिकतम सीमा और विनियमन अधिनियम, 1976 बनाराजी निर्णय दिनांक 22.05.2018 प्रकरण क्र.129 अपील/2016-17

527
19/7/18

माननीय महोदय,

अपीलार्थीगण अधीनस्थ योग्य न्यायालय आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन के द्वारा परित आदेश दिनांक 22.05.2018 प्रकरण क्र. 129/अपील/2016-17 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर निम्न आधारों पर अपील अंदर अवधि प्रस्तुत करते है।

1. यह कि, अधीनस्थ योग्य न्यायालय द्वारा पारित विवाद आदेश विधि एवं विधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि, अधीनस्थ योग्य न्यायालय प्रकरण की परिस्थिति को पूर्णरूप से दृष्टिगत नही रखते हुए विवादित आदेश पारित किया है जो किसी भी दशा में स्थिर रखे जाने योग्य है।

3. यह कि, अधीनस्थ योग्य न्यायालय द्वारा सक्षमप्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में अपीलार्थीगण (भूमि स्वामियों) की कोई तामिल ही नहीं हुई तथा उनके विरूद्ध सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये एक पक्षीय विवादित आदेश प्रदान किया है। इस कारण उक्त आदेश अपीलार्थीगण पर बंधनकारक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - अपील-4770/2018/उज्जैन/अन्य

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08/08/2018	अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी एवं प्रत्यर्थी शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री अजय निरंकारी उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि यह प्रकरण नगर भूमि अधिकतम सीमा और विनियमन अधिनियम 1976 का होने से त्रुटिवश इस न्यायालय में प्रस्तुत हो गया है। अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किया जाए। विचारोपरांत आवेदक अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार करते हुए प्रकरण उन्हें सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापस किया जाए। **प्रशासकीय सदस्य**	